

अनुसूचित जाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश

विषय :- अनुसूचित जाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण ।

भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति प्रतिभा विकास छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र वर्ष 2018-19 हेतु आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. छात्रवृत्ति योजना का नाम :- अनुसूचित जाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम
2. पात्रता :-
 1. राज्य के राजकीय/निजी विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहते हुए सत्र 2017-18 में कक्षा 8 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति संवर्ग के छात्र जिन्होंने परीक्षा में "बी ग्रेड" अर्जित की हो।
 2. "बी ग्रेड" के पात्र छात्रों के आवेदन पत्र न होने की स्थिति में निर्धारित रिक्तियों पर प्रवेश न होने पर "सी ग्रेड" अर्जित करने वाले छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। निर्धारित रिक्तियों को शत प्रतिशत भरा जाना अपेक्षित है।
 3. योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रवेश स्तर कक्षा 9 के अतिरिक्त उच्च कक्षाओं में भी कतिपय कारणों से स्थान रिक्त है तो उन कक्षाओं में प्रवेश योग्य संबंधित संवर्ग के छात्रों द्वारा गत कक्षा में प्राप्तांको की मेरिट की वरियता अनुसार शत प्रतिशत रिक्तियों को भरा जाना अपेक्षित है।
3. देय सुविधा :- इस योजनान्तर्गत रथाई चयनित आवासीय विद्यालय हैं
 1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा,
 2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर एवं
 3. राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरइन विद्यालयों में नियमानुसार चयनित छात्रों को छात्रावासी की हैसियत से प्रवेश दिलाया जाकर भारत सरकार के नियमों के अनुसार निःशुल्क शिक्षण/किताबें/शुल्क एवं भोजन के अतिरिक्त कोचिंग, विषय विशेषज्ञ से कोचिंग सुविधा के साथ-साथ लाइब्रेरी व अन्य लेबोरेट्रीज की सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएंगी ।
4. छात्रवृत्तियों की संख्या 40 छात्रवृत्तियों

आवासीय विद्यालयों में आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या :-

क्र.सं.	आवासीय विद्यालय	रिक्तियां
1	राजकीय गुरु गोविंदसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर	13
2	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर	14
3	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा	13

आवासीय विद्यालयों में जिलेवार निर्धारित रिक्तियों की संख्या :-

क्र.सं.		जिला	रिक्तियां
1	राजकीय गुरु गोविंदसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर	जोधपुर	02
2		बाड़मेर	01
3		पाली	02
4		जैसलमेर	01
5		जालौर	01
6		सिरोही	01
7		उदयपुर	01
8		बांसवाड़ा	01
9		भीलवाड़ा	01
10		झुंझुनू	01
11		राजसमन्द	01
		योग	13
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदड़ा, अजमेर	अजमेर	02
2		जयपुर	01
3		नागौर	02
4		बीकानेर	01
5		चूरु	01
6		झुंझुनू	02
7		सीकर	02
8		श्रीगंगानगर	01
9		हनुमानगढ़	01
10		दौसा	01
		योग	14
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा	कोटा	01
2		बून्दी	01
3		झालावाड़	01
4		करौली	01
5		सवाई माधोपुर	01
6		चित्तौड़गढ़	01
7		प्रतापगढ़	01
8		टोंक	01
9		भरतपुर	01
10		अलवर	02
11		बारां	01
12		धौलपुर	01
		योग	13

6. आवेदन हेतु शर्तें :-

1. राजस्थान राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को ही आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा । इसके लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा ।
2. आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु वे विद्यार्थी आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 8 राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो ।
3. माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिये । इसके लिए माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा ।
4. अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा ।
5. आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेशित होने वाले छात्रों की जिनकी कक्षा 8 की अंकतालिका में ग्रेड के आधार पर मैरिट तैयार की जाकर मैरिट के आधार पर क्र.सं. 5 में वर्णित जिलेवार आवंटित आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश दिया जाएगा ।
6. आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत उत्तीर्ण छात्र अगली कक्षा में स्वतः ही प्रवेश के पात्र होंगे ।
7. कोई भी विद्यार्थी अपने जिले के लिए निर्धारित आवासीय विद्यालय में ही प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेगा ।
8. आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) कार्यालय अथवा उस जिले हेतु नामांकित आवासीय विद्यालय से प्राप्त कर सकेंगे । विज्ञप्ति के साथ मुद्रित आवेदन पत्र के प्रारूप को भी टंकित करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है । उक्त योजना की सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।
9. आवेदन पत्र जमा कराकर पावती लेना नहीं भूलें ।
10. भरे हुए आवेदन पत्र सीधे उसी आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को व्यक्तिशः अथवा डाक से दिनांक 25.07.2018 की सांय 5.00 बजे तक जमा करवाने होंगे । डाक से प्रेषित आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्र की ही होगी । अंतिम तिथि के अगले दिवस को ही विद्यार्थियों की प्रवेश सूची तैयार की जायेगी ।

संलग्न - आवेदन पत्र



(नथमल डिडेल)

IAS


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर ।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर ।
5. उपनिदेशक (योजना) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
6. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रभावी प्रबोधन हेतु ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को प्रेषित कर लेख है कि दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आपके जिले से संबंधित आवासीय विद्यालय के लिए पूरित करावें ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) उदयपुर/अजमेर/कोटा निर्देशानुसार समयबद्ध कार्य करना सुनिश्चित करें। प्रवेश समिति बाबत नियमादि प्रतिवर्ष की भांती यथावत रहेंगे ।
9. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्धन विलास-उदयपुर/ मसूदा-अजमेर/कोटा
10. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुरु गोविन्द सिंह, उदयपुर/ तोपदड़ा-अजमेर/ -कोटा को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 30.07.2018 निदेशालय को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें ।
11. वरिष्ठ सम्पादक महोदय, शिविरा पत्रिका कार्यालय हाजा ।
12. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करें ।

 04.7.18

प्रभारी अधिकारी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

1. जिला

2. जाति

आवासीय विद्यालय जिला में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

(शैक्षणिक सत्र 2018-19)

प्रधानाचार्य,

आवासीय विद्यालय

जिला..... (राजस्थान)

फोटो हस्ताक्षर
सहित

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (अंकों में) :
- (शब्दों में) :
- 3 प्रवेश जिस कक्षा में लेना है :
- 4 (अ) पिता/माता का नाम : पिता का नाम
- : माता का नाम
- (ब) पिता/माता का व्यवसाय : व्यवसाय वार्षिक आय रु.
- 5 क्या माता/पिता आयकर :
दाता है (आय प्रमाण पत्र की हों/नहीं
प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 6 स्थायी पता :
- 7 स्थानीय अभिभावक का नाम :
- एवं पता
- 8 विद्यार्थी की जाति : अनुसूचित जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

- 9 मूल निवास (मूल निवास : ग्राम
प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
संलग्न करें) तहसील जिला
- 10 कक्षा एवं विद्यालय का नाम, : कक्षा-8
जहाँ से छात्र ने कक्षा 8
उत्तीर्ण की है (अंक तालिका विद्यालय का नाम
की प्रमाणित प्रति संलग्न जिला प्राप्तांक का प्रतिशत
करें)

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया सम्पूर्ण विवरण सत्य है तथा मेरे पुत्र को प्रवेश मिलने पर मैं विद्यालय के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी । मैं यह भलिभांति समझता/समझती हूँ कि मेरे पुत्र का प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ही विद्यालय के लिए प्रवेश देने की बाध्यता नहीं है। साथ ही यह भी घोषण करता हूँ/करती हूँ कि मैं आयकरदाता नहीं हूँ ।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

माता/पिता के हस्ताक्षर

श्री (छात्र का नाम) पुत्र श्री.....
का प्रवेश कार्य विद्यालय अभिलेख से सत्यापित कर लिया गया है तथा आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

आवासीय विद्यालय के उपयोग हेतु

श्री (छात्र का नाम) पुत्र श्री
की कक्षा 8 में अर्जित ग्रेड है तथा योग्यता सूची में इनका वरियता क्रमांक
है । अतः इन्हें प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

प्रधानाचार्य
आवासीय विद्यालय
माय सील

पावती

छात्र..... पुत्र श्री ने
अपना आवेदन-पत्र आज दिनांक को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है ।

प्रधानाचार्य
आवासीय विद्यालय
माय सील